पत्रांक-13/ने.11-06/2020 1666 /

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

E-mail-dirsecednjhk@rediffmail.com/ dirsecednjhk@gmail.com

प्रेषक,

के0 रवि कुमार, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

समापति,
कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट।

राँची, दिनांक 16/6/2023

विषय :– विभागीय अधिसूचना सं0 187 दिनांक 09.11.2010 के आलोक में समापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्रतिवेदित तथ्यों की सम्पुष्टि के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 46/ने.वि.स./2023 दिनांक 15.06.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से किये गये संसूचन से स्पष्ट है कि आदेश सं0–09/ने.वि.स./प्राचार्य–नियुक्ति–59 दिनांक–13.06.2018 के आधार पर दिनांक 20.06.2018 को हस्ताक्षरित Contract of Service के आलोक में नियुक्त डॉ0 संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट का उक्त Contract of Service के अनुसार दिनांक 19.06.2023 को उनका Tenure समाप्त हो रहा है। साथ ही इस विद्यालय में प्राचार्य पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन सं0–01/2023 दिनांक 03.04.2023 को रद्द करने तथा डॉ सिंह द्वारा स्वंय का Extension कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No.-1977/2023 संतोष कुमार सिंह–बनाम–राज्य सरकार एवं अन्य दायर किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। W.P.(S) No.-1977/2023 संतोष कुमार सिंह–बनाम–राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 02.05.2023 को पारित न्यायादेश का अंश जो निम्नवत है:– "Any appointment to the post of Principal shall be subject to outcome of this writ petition" के कारण विद्यालय में नये प्राचार्य की नियुक्ति में विलम्ब होने की सम्भावना है।

विदित हो कि विभागीय अधिसूचना सं0 187 दिनांक 09.11.2010 की कंडिका 19(v) के अनुसार **"कार्यकारिणी समिति ही प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी, जिसके आहूत करने के संबंध में समापति द्वारा निर्णय लिया जाएगा"**। आपके प्रासंगिक पत्र में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 21.01.2023 को कार्यकारिणी समिति की आकस्मिक बैठक सम्पन्न हुई तथा इसके पश्चात् दिनांक 17.04.2023 को समिति की बैठक आहूत करने हेतु दिये गये निदेश का अनुपालन प्राचार्य द्वारा नहीं किये जाने के फलस्वरूप उक्त बैठक नहीं हो पायी। प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय द्वारा समापति, नेतरहाट विद्यालय समिति के पूर्वादेश के बिना कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक दिनांक 11.05.2023 को आहूत की गयी थी, जिसे आपके पत्रांक 23/ने.वि.स./2023 दिनांक 10.05.2023 द्वारा स्थगित कर दिया गया और दिनांक 21.01.2023 के पश्चात्

कार्यकारिणी समिति की कोई भी बैठक आहूत नहीं की गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिसूचना सं0 187 दिनांक 09.11.2010 की कंडिका 19(v) के अनुसार समिति की किसी भी बैठक को आहूत करने की शक्ति सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति में निहित है तथा कंडिका 19(i) के अन्यथा, बिना सभापति के निर्णयानुसार आहूत बैठक एवं उक्त बैठक के निर्णय अमान्य/असंवैधानिक हैं।

अतः डॉ0 सिंह का Tenure दिनांक 19.06.2023 को समाप्त हो जाने, तत्काल नये प्राचार्य की नियुक्ति में विलम्ब होने की सम्भावना तथा विद्यालय के सुचारू संचालन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय अधिसूचना सं0 187 दिनांक 09.11.2010 की कंडिका 19(viii) के प्रावधानानुसार यथा–**"सभापति किसी ऐसे प्रश्न को, जो उसके अभिमत में ऐसे महत्व का हो, जिसके कारण उसपर राज्य सरकार का निर्णय आवश्यक हो, राज्य सरकार को भेज सकेगा एवं राज्य सरकार का निर्णय संस्था एवं इसकी कार्यकारिणी समिति पर बाध्यकारी होगा"**, एतद् द्वारा आपके पत्रांक 46/ने.वि.स./2023 दिनांक 15.06.2023 में प्रतिवेदित तथ्यों को सम्पुष्ट किया जाता है। तदनुसार निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

18/6/23

(के0 रवि कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–13/ने.11–06/2020...1666...... राँची, दिनांक 18/6/2023

प्रतिलिपिः– कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति के सभी सदस्यों/उपायुक्त, लातेहार/डॉ0 संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6/23

(के0 रवि कुमार)
सरकार के सचिव।